

कार्यालय जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) -सह- उपायुक्त, पलामू

नगरपालिका (आम एवं उप) निर्वाचन 2018 संबंधी

अति-अल्पकालिन निविदा

नगरपालिका (आम एवं उप) निर्वाचन 2018 के निमित्त उपयोग में लाने हेतु C.C.T.V., Dron एवं अन्य सामग्रियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 12.03.18 को 01 बजे अपराह्न तक जिला पंचायत राज कार्यालय, पलामू में निविदा आमंत्रित की जाती है एवं उक्त तिथि को ही अपराह्न 04 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायगी। निविदा निम्नांकित शर्तों के अधीन प्राप्त की जायगी-

1. प्रत्येक निविदादाता को दो अलग-अलग मुहरबन्द लिफाफे में तकनिकी बीड (Technical bid) एवं वित्तीय बीड (Financial bid) सम्बन्धी कागजात समर्पित करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट अक्षरों में तकनिकी बीड तथा वित्तीय बीड अलग-अलग अंकित करना होगा।

तकनिकी बीड :-

- I. तकनिकी बीड में आयकर देने सम्बन्धी निबंधन संख्या एवं विगत दो वित्तीय वर्षों का अद्यतन आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा। फर्म के नाम से निर्गत आयकर रिटर्न ही मान्य होगा।
- II. G.S.T. निबंधन सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- III. प्रत्येक निविदादाता को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) -सह-उपायुक्त, पलामू के पदनाम से 20,000/- (बीस हजार)रु० का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित राशि तकनिकी बीड के साथ संलग्न करना होगा।
- IV. तकनिकी बीड के साथ पूर्व चुनाव में कार्य करने का कोई अनुभव /कार्यादेश हो तो संलग्न कर सकते हैं। अन्य शर्तें पूर्ण करने पर अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- V. पूर्व में निर्वाचन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने वाले निविदादाता निविदा के पात्र नहीं होंगे।

वित्तीय (Financial bid) :- वित्तीय बीड के लिफाफे में सूची में उल्लेखित सामग्रियों का अलग-अलग दर उपलब्ध कराना होगा।

12.3.18

2. प्रत्येक निविदादाताओं को निविदा पत्र के साथ सम्बन्धित फर्म के भण्डार में C.C.T.V. / Dron Camera के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न करना होगा।
3. कार्यालय द्वारा चिन्हित स्थानों पर CCTV / Dron अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत यथाशीघ्र उक्त कार्य पूर्ण करना होगा। समय पर कार्य सम्पन्न नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अथवा काली सूची में डाला जा सकता है।
4. कार्यालय या कार्यस्थल तक उपरोक्त सामग्रियों के अधिष्ठापन तथा लाने या वापस ले जाने हेतु किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
5. पहचान पत्र हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर जाकर संबंधित कर्मियों का फोटो खिचकर फोटोयुक्त पहचान पत्र का निर्माण करना होगा। पहचान पत्र का नमूना अनिवार्य है।
6. निविदा स्वीकृति करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
7. न्यूनतम स्वीकृत दर पर आवश्यकता अनुसार एक से अधिक फर्मों को कार्यादेश दिया जा सकता है।

उपरोक्त निविदा का अवलोकन पलामू जिला के वेबसाइट <http://palamu.nic.in> पर एवं जिला पंचायत राज कार्यालय, पलामू के सूचना पट्ट पर भी किया जा सकता है।

अ

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
—सह— उपायुक्त, पलामू।

ज्ञापांक 173 / ग्रा0पं0 दिनांक 12-03-18

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि इसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कराने की कृपा की जाय।

अ

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
—सह— उपायुक्त, पलामू।

ज्ञापांक 173 / ग्रा0पं0 दिनांक 12-03-18


प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पलामू / जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अ
10/03/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
—सह— उपायुक्त, पलामू।

नगरपालिका (आम एवं उप) निर्वाचन 2018
सामग्रियों की सूची

1. ड्रोन विडियो कैमरा (मतदान दिवस के दिन एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व हेतु - प्रति कैमरा प्रति दिन)।
2. सी0सी0टी0वी0 कैमरा (प्रति कैमरा प्रति दिन)
3. पहचान पत्र (होल्डर एवं फीता सहित) - पदाधिकारियों/कर्मियों हेतु (प्रति पहचान पत्र का दर)।
4. लाउडस्पीकर (एम्पलीफायर एवं माईक्रोफोन के साथ) - प्रति दिन।
5. पोडियम/पण्डाल का दर (Standard Size 59 feet) - प्रति दिन।
6. कपड़ा बैनर /फ्लैक्स (प्रति लाईन छपाई के साथ)- प्रति मीटर।
7. कपड़े का झण्डा (छोटा/मध्यम एवं बड़े साईज का)।
8. प्लॉस्टिक का झण्डा (छोटा/मध्यम एवं बड़े साईज का)।
9. हैण्डबिल (Cost to be calculated and print order ascertained from Printer - refer 127A of R.P.Act 1951) - प्रति हजार।
10. पोस्टर (कागज एवं प्लॉस्टिक) (साईज - 18X22, 20X30, 23X36) - प्रति हजार।
11. होर्डिंग (प्रति वर्ग फीट)
12. कटआउट (लकड़ी का) - प्रति वर्ग फीट।
13. कटआउट (कपड़ा/प्लॉस्टिक) - प्रति स्वचायर फीट।
14. विडियो सी0डी0/डी0वी0डी0 प्लेयर (भाषण एवं गानों के साथ) - प्रति पीस।
15. ऑडियो कैसेट (प्रचार सामग्री) - प्रति पीस।
16. फाटक/द्वार का निर्माण (छोटा एवं बड़ा)।
17. मेहराब का निर्माण - प्रति फीट की दर।
18. होटल के कमरे /गेस्ट हाऊस प्राप्त करने का दर -
 1. सिंगल बेड रूम (AC & Non AC)।
 2. डबल बेड रूम (AC & Non AC)।।
19. वाहन चालक का दर (प्रति दिन एवं प्रति महिना की दर से)।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
-सह- उपायुक्त, पलामू।